-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 15.12.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ **मिशन शक्ति अभियान के तहत चिह्नित अभियोग में ऑपरेशन कनविक्शन के तहत त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के फलस्वरुप वर्ष 2023 में थाना बबेरु क्षेत्र में नाबालिक लडकी के साथ बलात्कार करने के मामले में आरोपी पडोसी को मा0 न्यायालय द्वारा दिलाई गई 20 वर्ष के कठोर कारावास व 05 हजार रुपये जुर्मानें की सजा।**

विवरण–पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान **"ऑपरेशन कन्विक्शन"** के तहत कड़ी सजा दिलाये जाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में **मिशन शक्ति अभियान** के तहत चिह्नित वर्ष-2023 में थाना बबेरु क्षेत्र अन्तर्गत नाबालिक लडकी के साथ बलात्कार करने के मामले में आरोपी पडौसी को **20 वर्ष के कठोर कारावास व जुर्माने** से दण्डित कराया गया। गौरतलब हो कि थाना बबेरु क्षेत्र अन्तर्गत ग्राम निबिहापुरवा मजरा अहार के रहने वाले कालीचरन ने दिनांक 13.05.2023 को थाना बबेरु पर सूचना दी कि उनकी नाबालिक पुत्री के साथ गांव के ही रहने वाले पडोसी व्यक्ति द्वारा गलत काम किया गया है। इस सम्बन्ध में **थाना बबेरु में मु0अ0सं0 220/2023 धारा 376 भादवि व 5/6 पॉक्सो एक्ट** पंजीकृत किया गया था। जिसकी विवेचना तत्कालीन **प्रभारी निरीक्षक श्री पंकज कुमार सिंह** द्वारा सम्पादित की गयी। विवेचना के क्रम में विवेचक द्वारा प्रभावी विवेचना करते हुए दिनांक 09.08.2023 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था। **लोक अभियोजक श्री शिवपूजन सिंह** द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई साथ ही **कोर्ट मोहर्रिर आरक्षी जितेन्द्र व अमित तथा पैरोकार आरक्षी चक्रधारी** के अथक प्रयासों से **आरोपी** को **मा0 सत्र न्यायालय बांदा** द्वारा **20 वर्ष के कठोर कारावास व 05 हजार रुपये के अर्थदण्ड** से दण्डित कराया गया।

अभियुक्त-

1. **हुकुमचन्द्र पुत्र मोहन निवासी निबिहापुरवा मजरा अहार थाना बबेरू जनपद बांदा।**